

बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या-4/कृ०शि०को- 19/2017- 2152

/कृ०, पटना, दिनांक 24/5/2017

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।
द्वारा (+) वित्त विभाग, बिहार, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप
से परामर्शित।

विषय : नीरा परियोजना के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर एवं तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर के बीच तकनीकी हस्तांतरण के लिए किये गये एम०ओ०यू० के कार्यान्वयन हेतु 30.50 लाख (तीस लाख पचास हजार) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

निदेशानुसार राज्य सरकार द्वारा नीरा परियोजना के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर एवं तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर के बीच तकनीकी हस्तांतरण के लिए किये गये एम०ओ०यू० के कार्यान्वयन हेतु 30.50 लाख (तीस लाख पचास हजार) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. योजना का कार्यान्वयन उक्त दोनों विश्वविद्यालयों के बीच सम्पन्न एम०ओ०यू० के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा। एम०ओ०यू० के कंडिका-3 के आलोक में आकलित राशि का विवरण निम्नांकित है,

Particular	Basic Cost estimate (Rs)	Total estimated cost (Rs)	Total cost (Rs)
Exposure visit/Training of scientist/Entrepreneur/ Resource person(Bihar/at TNAU)			
Honorarium for resource person, TA/DA for imparting training at Tamil Nadu	5 days x 6000 per day x 10 visits (of trainees to TNAU)	3,00,000	3,00,000
Honorarium including TA/DA for Experts from TNAU for imparting training in Bihar	5 Experts x 10 visits x 50,000 per scientist.	25,00,000	25,00,000
Technology/Technology transfer cost	Rs. 50,000	2,50,000	2,50,000
	Total		30,50,000

बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के सहमति के बिना अतिरिक्त वित्तीय भार का वहन नहीं किया जायेगा।

3. उक्त योजनान्तर्गत व्यय हेतु स्वीकृत राशि 30.50 लाख रू० (तीस लाख पचास हजार रूपये) का व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित बजट मुख्य शीर्ष-2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष 01-फसल कृषि कर्म-लघु शीर्ष-277-शिक्षा, उपशीर्ष-0108-बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर, विपत्र कोड- 01-2415012770108 के अधीन कुल उपबंधित 16434 लाख रूपये में से विषय शीर्ष- 0108.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन में उपबंधित 1094.81 लाख रूपये से विकलनीय होगा।

4. व्यय हेतु स्वीकृत राशि 30.50 लाख रू० की निकासी मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से करेंगे एवं बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को उपलब्ध करायेंगे। विमुक्त राशि के विरुद्ध यदि कोई ब्याज आहरित होता है तो इसका उपयोग उन्हीं कार्यों के लिए किया जायेगा जो राज्य सरकार से स्वीकृत हैं।

5. अनुदान के रूप में स्वीकृत राशि की निकासी बी०टी०सी०-42 पर की जायेगी जिसके साथ बिहार कृषि विश्वविद्यालय से पूर्व प्राप्त रसीद संलग्न की जायेगी। विपत्र में योजना का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा। विश्वविद्यालय द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी एवं इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार के कार्यालय को भेजी जायेगी। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी। कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा उक्त योजना का अलग से लेखा संधारण सुनिश्चित किया जायेगा। महालेखाकार, बिहार को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

6. वित्त विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक-2561 दिनांक 17.4.98 का अनुपालन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।


7. महालेखाकार, बिहार, पटना को उक्त स्वीकृत राशि के व्यय का अंकेक्षण का अधिकार रहेगा। विश्वविद्यालय व्यय से संबंधित लेखा पंजी का संधारण करेगा तथा विहित अंकेक्षण दल को यथा समय उनके निरीक्षण हेतु उपलब्ध करायेगा।

8. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-एम-4-53/2007-2199/वि०, दिनांक 24.03.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में स्वीकृति संचिका संख्या-4/कृ०शि०को-19/2017 के पृ०सं०- 3/टि. पर प्राप्त है।

9. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- 4/कृ०शि०को-19/2017 के पृ०सं०- 3/टि. पर दिनांक- 15.05.2017 को प्राप्त है।

10. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(सुधीर कुमार)


प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2152

/कृ०, पटना, दिनांक 24/5/2017

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/उप महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2152

/कृ0, पटना, दिनांक 24/5/2017

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2152

/कृ0, पटना, दिनांक 24/5/2017

प्रतिलिपि : कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/ कुलपति, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर/निदेशक (एबीडी), डायरेक्टोरेट ऑफ एग्री बिजनेस डेवलपमेंट, तमिलनाडु, कोयम्बटूर-641003/नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2152

/कृ0, पटना, दिनांक 24/5/2017

प्रतिलिपि:- उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, पी.पी.एम. (कृषि विभाग) बिहार, पटना/मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना/कृषि विभाग (मुख्यालय) के सभी संबंधित पदाधिकारी एवं योजना शाखा/बजट शाखा (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं उप कृषि निदेशक (सूचना) को विभाग के वेबसाईट पर उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।


प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

b